सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

पेटेंट अधिग्रहण तथा सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (पेस)

वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित करना- पांचवां बैच

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) पेस स्कीम के अंतर्गत नवप्रवर्तक उत्पाद/प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रदर्शन के लिए वाणिज्यीकरण लायक, संकल्पना के साक्ष्य अथवा प्रयोगशाला स्तर से पायलट स्तर तक के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ***पंजीकृत भारतीय कंपनियों/फर्मों/लघु तथा मध्यम उद्यमों इत्यादि*** से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए http://www.dsir.gov.in तथा ***पेस*** दिशानिर्देशों को देखें।

पेस की अद्वितीय विशेषताएँ:

- उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन तथा विकास (अकेले अथवा भारत अथवा विदेश के अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षिक संस्थान/ विश्वविद्यालय के सहयोग से)।
- भारतीय उद्योग को ऋण तथा भारतीय अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय को अनुदान (विदेश के अलावा)। अनुदान ऋण के साथ स्वीकृत होगा एवं यह स्वीकृत ऋण से अधिक नहीं होगा।
- यह स्कीम औद्योगिक रूप से उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए अग्रणी किसी भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र* में प्रस्तावों को सहायता प्रदान करेगी।
- यह स्कीम उन प्रस्तावों को सहायता प्रदान करेगी जो संकल्पना-के-साक्ष्य के प्रमाण प्रस्तुत करती हो एवं अपूरित आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।

* विशुद्ध जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रस्तावों, जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग में प्रस्तुत किया जा सकता है, के अलावा ।

पात्रता

- कंपनी को सम्बद्ध अधिनियम के तहत भारत में पंजीकृत होना चाहिए अथवा एसएसआई/एमएसएमई में कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत और लाभ अर्जित करने वाली होनी चाहिए।
- भारतीय नागरिकों के पास, अप्रवासी भारतीयों सहित, कंपनी के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।
- उद्योग के पास स्वंय द्वारा विकसित अथवा अधिगृहित आई पी स्वामित्व (पेटेंटेड या अनपेटेंटेड) होना चाहिए, जिसे प्रस्तावित परियोजना में मूल्य वर्धन अथवा अप-स्केलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- उन उद्योगों को जिनकी अनुसंधान एवं विकास इकाई डीएसआईआर से मान्यता प्राप्त हैं उनको वरीयता दी जाएगी।
- उद्योग यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में अवश्य होना चाहिए कि वह परियोजना में अपनी निधि की हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम होगा।
- सहयोगी सहभागी, यदि लागू हों तो, भारतीय सार्वजनिक वित्त प्राप्त अनुसंधान संस्थान होना चाहिए जिसे कम से कम संस्थान के आवर्ती खर्चों का न्यूनतम 50 प्रतिशत सरकार से प्राप्त हो।

आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश

निर्धारित दिशानिर्देश तथा आवेदन पत्र का प्रारूप वैबसाईट www.dsir.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक अपना आवेदन वैबसाईट www.dsir.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत करें। **तत्पश्चात** आवेदक को विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव की पाँच हार्ड कापियाँ + एक साफ्ट कॉपी [एमएसवर्ड फाईल ना कि पीडीएफ फाईल] ईमेल के माध्यम से तथा एक पेन ड्राइव संलग्न करते हुए: **प्रमुख (पेस),** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हॉल-बी, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली- 110016 को भेजनी होगी। दस्तावेज धारक पर बडे अक्षरों में ''गोपनीय, पेस परियोजना'' लिखकर ashwani@nic.in पर ईमेल करें।

डीएसआईआर दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

श्री विनय कुमार, वैज्ञानिक 'ई'
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली -110016
ईमेल: vinaykumar@nic.in
दूरभाष: 26529742/26590496

पांचवां बैच के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 30 नवम्बर, 2014